भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या : 1016

उत्‍तर देने की तारीख : 09 मार्च, 2017

**पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर के खिलाफ कदम**

**1016. श्री संजय सेठः**

**क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) आज की तारीख के अनुसार विभिन्न राज्यों में पांचवीं, आठवीं, दसवीं और बारहवीं कक्षा तक पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाले छात्रों की कुल संख्या और दर कितनी है;

(ख) बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों में से कितने छात्र कॉलेज में प्रवेश लेते हैं, उनकी संख्या और प्रतिशत कितना है और इस स्तर पर पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाले छात्रों की दर क्या है; और

(ग) पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाले छात्रों की संख्या अधिक होने की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्‍तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री उपेन्द्र कुशवाहा)**

(क) और (ख): राष्ट्रीय शिक्षा योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय (एनयूईपीए) द्वारा अनुरक्षित एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (यू-डीआईएसई), 2015-16 के अनुसार, प्राथमिक, अपर प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाले छात्रों का वार्षिक औसत का राज्य-वार ब्यौरा संलग्नक-I में दिया गया है।

उच्चतर शिक्षा में छात्रों के पंजीकरण का मापन 18-23 वर्ष आयु वर्ग की पात्र जनसंख्या में से उच्चतर शिक्षा में हुए कुल नामांकन के अनुसार किया जाता है। उच्चतर शिक्षा में 18-23 आयु वर्ग की जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में हुए कुल नामांकन को सकल नामांकन अनुपात कहा जाता है। अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षेण (एआईएसएचई) की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2015-16 के दौरान उच्चतर शिक्षा में जीईआर 24.5% है। वर्ष 2015-16 के लिए उच्चतर शिक्षा में छात्रों का नामांकन संलग्नक – II में दिया गया है।

(ग) केन्द्र सरकार देश में शैक्षिक विकास हेतु राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सहयोग से कई योजनाएँ कार्यान्वित कर रही है। सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) कार्यक्रम स्‍कूलों में बच्‍चों के अवधारण और नामांकन को बढ़ाने तथा ड्राप आउट दर कम करने के लिए कई प्रकार के प्रोत्‍साहन प्रदान करते हैं। इनमें प्राथमिक, उच्‍च प्राथमिक और माध्‍यमिक स्‍कूलों के लिए पहुंच, स्‍कूल और अवसंरचना जैसे स्‍कूल भवन, अतिरिक्‍त कक्षा-कक्षा, प्रसाधन, पेयजल सुविधाएं इत्‍यादि का सुदृढ़ीकरण, शिक्षक-शिष्‍य अनुपात (पीटीआर) के साथ महिला-पुरूष सकारात्‍मक पाठ्यपुस्‍तकों हेतु कार्यनीति बनाना, शिक्षकों और शिक्षा प्रशासकों का महिला-पुरूष सुग्राहीकरण, शामिल हैं। इसके अतिरिक्‍त, देश में शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्‍लॉकों में उच्‍च प्राथमिक स्‍तरों पर मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्‍य पिछड़ा वर्ग और अल्‍पसंख्‍यकों बालिकाओं हेतु 3602 कस्‍तूरबा गांधी बालिका आवासीय स्‍कूल स्‍थापित किए गए हैं। मध्‍याह्न भोजन (एमडीएम) कार्यक्रम प्रारंभिक स्‍कूलों में भी कार्यान्वित किया जाता है ताकि इससे बच्‍चों के नामांकन बढ़ाने और उन्हें स्‍कूल में बनाए रखने में मदद मिले। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) जिसका उद्देश्य शिक्षा की पहुँच में महिला-पुरूष और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करना है, माध्यमिक शिक्षा को सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है।

उच्चतर शिक्षा की संस्थाओं में अध्ययन को जारी रखने के लिए छात्रों के प्रतिशत में वृद्धि करने के लिए, सरकार ने नई संस्थाओं को खोलने, और छात्रों द्वारा लिए गए शैक्षिक ऋणों पर छात्रवृ्त्ति और ब्याज सब्सिडी जैसी कई पहले शुरू की हैं। सूचना और संचार प्रोद्योगिकी (आईसीटी) अनुप्रयोगों का व्यापक उपयोग देश के उच्चतर शिक्षा में प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, एक नई योजना जिसे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) कहा जाता है, शुरू की गई जिसका उद्देश्य राज्य उच्चतर शिक्षा प्रणाली में समानता, सुलभता और उत्कृष्टता प्राप्त करना है। यह योजना स्वायत्त कालेजों का विश्वविद्यालयों में उन्नयन करने, विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कालेजों का समूहन, असेवित और अल्पसेवित क्षेत्रों में नए व्यावसायिक कालेजों की स्थापना करने के साथ विश्वविद्यालयों और कालेजों की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए अवसंरचना अनुदान प्रदान करने जैसे घटकों का सहायता प्रदान करती है।

\*\*\*\*\*\*\*

संलग्नक-I

**“पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर के खिलाफ कदम” के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री संजय सेठ द्वारा दिनांक 09.03.2017 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1016 के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित संलग्नक**

**पढ़ाई बीच में छोड़ने की वार्षिक औसत दर**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **राज्य/संघ राज्यक्षेत्र** | **प्राथमिक** | **उच्च प्राथमिक** | **माध्यमिक** | **कक्षा XI - XII** |
| अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 0.51 | 1.69 | 9.87 | 16.93 |
| आंध्र प्रदेश | 6.72 | 5.20 | 15.71 | - |
| अरुणाचल प्रदेश | 10.82 | 6.71 | 17.11 | 18.42 |
| असम | 15.36 | 10.51 | 27.06 | - |
| बिहार | - | 4.08 | 25.90 | - |
| चंडीगढ़ | - | 0.44 | - | 10.55 |
| छत्तीसगढ़ | 2.91 | 5.85 | 21.26 | 2.76 |
| दादरा और नगर हवेली | 1.47 | 4.02 | 16.77 | 9.47 |
| दमन और दीव | 1.11 | 3.11 | 32.27 | 40.48 |
| दिल्ली | - | 0.76 | 11.81 | 17.32 |
| गोवा | 0.73 | 0.07 | 11.15 | 13.91 |
| गुजरात | 0.89 | 6.41 | 25.04 | 7.04 |
| हरियाणा | 5.61 | 5.81 | 15.89 | 5.75 |
| हिमाचल प्रदेश | 0.64 | 0.87 | 6.07 | 7.41 |
| जम्मू और कश्मीर | 6.79 | 5.44 | 17.28 | 12.65 |
| झारखंड | 5.48 | 8.99 | 24.00 | 3.41 |
| कर्नाटक | 2.02 | 3.85 | 26.18 | 1.96 |
| केरल | - | - | 12.32 | 0.47 |
| लक्षद्वीप | - | 2.78 | 6.76 | 3.12 |
| मध्य प्रदेश | 6.59 | 9.20 | 24.77 | - |
| महाराष्ट्र | 1.26 | 1.79 | 12.87 | 1.83 |
| मणिपुर | 9.66 | 4.20 | 14.38 | - |
| मेघालय | 9.46 | 6.52 | 20.52 | - |
| मिजोरम | 10.10 | 4.78 | 21.88 | 6.91 |
| नागालैंड | 5.61 | 7.92 | 18.33 | 6.97 |
| ओडिशा | 2.86 | 3.81 | 29.56 | - |
| पुडुचेरी | 0.37 | 0.56 | 12.19 | 4.50 |
| पंजाब | 3.05 | 3.22 | 8.86 | 5.83 |
| राजस्थान | 5.02 | 3.07 | 13.48 | - |
| सिक्किम | 2.27 | 1.57 | 15.89 | 11.76 |
| तमिलनाडु | - | - | 8.10 | 3.41 |
| तेलंगाना | 2.08 | 2.30 | 15.53 | 0.77 |
| त्रिपुरा | 1.28 | 1.99 | 28.42 | 8.93 |
| उत्तर प्रदेश | 8.58 | 2.70 | 10.22 | 2.10 |
| उत्तराखंड | 4.04 | 1.19 | 10.40 | 3.01 |
| पश्चिम बंगाल | 1.47 | 4.30 | 17.80 | 8.11 |
| **अखिल भारतीय** | **4.13** | **4.03** | **17.06** | **-** |

 स्रोत: यूडाइज: 2015-16

संलग्नक-II

**“पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर के खिलाफ कदम” के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री श्री संजय सेठ द्वारा दिनांक 09.03.2017 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1016 के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित संलग्नक**

उच्चतर शिक्षा में अनुमानित राज्य-वार नामांकन

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| क्र.सं. | **राज्य/संघ राज्यक्षेत्र** | नामांकन |
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 11024 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 1724538 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 46452 |
| 4 | असम | 570955 |
| 5 | बिहार | 1602860 |
| 6 | चंडीगढ़ | 99992 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 466030 |
| 8 | दादरा और नगर हवेली | 5454 |
| 9 | दमन और दीव | 3122 |
| 10 | दिल्ली | 1014876 |
| 11 | गोवा | 47266 |
| 12 | गुजरात | 1487129 |
| 13 | हरियाणा | 831659 |
| 14 | हिमाचल प्रदेश | 241705 |
| 15 | जम्मू और कश्मीर | 332556 |
| 16 | झारखंड | 581643 |
| 17 | कर्नाटक | 1857946 |
| 18 | केरल | 939155 |
| 19 | लक्षद्वीप | 501 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 1725182 |
| 21 | महाराष्ट्र | 3987312 |
| 22 | मणिपुर | 99340 |
| 23 | मेघालय | 71567 |
| 24 | मिजोरम | 31463 |
| 25 | नागालैंड | 36892 |
| 26 | ओडिशा | 914675 |
| 27 | पुडुचेरी | 65412 |
| 28 | पंजाब | 878479 |
| 29 | राजस्थान | 1761460 |
| 30 | सिक्किम | 29550 |
| 31 | तमिलनाडु | 3235354 |
| 32 | तेलंगाना | 1474235 |
| 33 | त्रिपुरा | 74035 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 6003076 |
| 35 | उत्तराखंड | 405386 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 1926500 |
| अखिल भारतीय | **34584781** |

 स्रोत: एआईएसएचई: 2015-16